भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2888
18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : युवाओं में खेती को एक व्यवहार्य करियर विकल्प के रूप में बढ़ावा देना
2888. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को देश में किसानों की संख्या में लगातार गिरावट की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो पिछले दशक के दौरान आई गिरावट का ब्यौरा क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं;
(ग) सरकार द्वारा युवाओं में खेती को एक व्यवहार्य करियर विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रमों सहित क्या पहल की गई है;
(घ) प्रति किसान आय बढ़ाने और युवा पीढ़ी के लिए कृषि को अधिक वित्तीय रूप से आकर्षक बनाने के लिए क्या उपाय लागू किए जा रहे हैं; और
(ङ) क्या सरकार ने कृषि में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कौशल विकास, तकनीकी उन्नति या वित्तीय प्रोत्साहन शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पंचवर्षीय आधार पर आयोजित तीन कृषि संगणनाओं के आधार पर परिचालन जोत धारकों*/किसानों की संख्या नीचे दी गई है:

क्र. सं.	कृषि संगणना	परिचालन जोत धारक*/किसान की संख्या ('000 में)
1	2005-06	1,29,222
2	2010-11	1,38,348
3	2015-16	1,46,454

* *वह व्यक्ति जिसके पास कृषि उत्पादन के लिए कृषि जोत के संचालन की जिम्मेदारी है और जिसे शीर्षक, कानूनी रूप, आकार या स्थान की परवाह किए बिना एक तकनीकी इकाई के रूप में संचालित किया जाता है।*

(ग) से (ङ): कृषि राज्य का विषय है और भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम उत्पादन में वृद्धि, किसानों को लाभकारी रिटर्न और आय सहायता किसानों के कल्याण के लिए हैं। किसानों की समग्र आय और कृषि क्षेत्र में लाभकारी रिटर्न बढ़ाने के लिए डीए एंड एफडब्ल्यू द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/ पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
4. संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस)

5. कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ)
6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
8. नमो ड्रोन दीदी
9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
10. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
11. स्टार्ट-अप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्रीश्योर)
12. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
13. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
14. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
15. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएचएंडएफ)
16. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी)
17. कृषि वानिकी
18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
20. बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
22. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल कृषि मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन

सरकार ने युवाओं के लिए खेती को एक व्यवहार्य करियर विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं, जिनमें से कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) किसानों, खेतिहर महिलाओं और ग्रामीण किशोरों को आवश्यकता-आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है ताकि उनके ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को बदला जा सके, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। कृषि विकास के लिए ग्रामीण युवाओं के महत्व को समझते हुए, आईसीएआर ने "कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और बनाए रखना" (एआरवाईए) नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यनीति के तहत, 35 वर्ष से कम आयु के ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं, जिससे ग्रामीण युवाओं का शहरों की ओर पलायन रोका जा सके।

सरकार ग्रामीण युवाओं के कौशल प्रशिक्षण (एसटीआरवाई) को क्रियान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं और किसानों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण (सात दिन की अवधि) प्रदान करना है, ताकि उनके ज्ञान और कौशल का उन्नयन हो सके और ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी/स्वरोजगार को बढ़ावा मिले। इस घटक का उद्देश्य कुशल श्रमशक्ति का एक पूल बनाने के लिए कृषि आधारित व्यावसायिक क्षेत्रों में महिला किसानों सहित ग्रामीण युवाओं को अल्पावधि कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना है। हाल ही में, एसटीआरवाई कार्यक्रम को कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) कैफेटेरिया के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

*****